जून \_\_, 2019

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

विषय: मैसर्स JK KTV Set, टाउन नीमच , डिस्ट्रिक्ट नीमच, मध्य प्रदेश- 458441 द्वारा दंड संहिता और कॉपीराइट अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराधों के कमीशन की शिकायत। ।

महोदय,

मैं, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S/o \_\_\_\_\_\_, वयस्क, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ पर मेरा कार्यालय है , इसके तहत मैं अपनी शिकायत यहाँ दे रहा हूँ:

में एक पेशेवर पायरेसी के खिलाफ सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं। हमारी एजेंसी स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कॉन्स्टीट्यूड अटॉर्नी द्वारा कार्यरत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 'स्टार हाउस', उर्मि एस्टेट, 95 गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई 400 013, में है। हमारी एजेंसी मैसर्स JK KTV Set, द्वारा अपने केबल टेलीविज़न नेटवर्क पर स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सिगनल ट्रांसमिशन की प्रारंभिक रिकॉर्डिंग करने के लिए नियुक्त की गई है और यदि केबल ऑपरेटर गैरकानूनी प्रसारण करते हुए पाया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के साथ कानून के अनुसार शिकायत दर्ज करने के लिए भी नियुक्त की गई है ।

JK KTV Set और स्टार इंडिया के बीच हुए समझौते की अवधि 26.12.2018 से एक वर्ष के लिए थी। JK KTV Set, समझौते के कार्यकाल के दौरान सहमत अनुबंध की शर्तों का पालन करने में चूक गया, जिसमें सहमत लाइसेंस शुल्क का भुगतान शामिल है। चूंकि समझौते की शर्तों का लगातार उल्लंघन था, इसलिए कंपनी ने दिनांक 25.04.2019 को डिसकनेक्शन नोटिस जारी किया और 23.05.2019 से प्रभावी इंटरकनेक्शन रेगुलेशन, 2012 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सिग्नल की आपूर्ति काट दी। आज कंपनी और मेसर्स JK KTV के बीच कोई समझौता नहीं है।

स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स JK KTV Set द्वारा अपने भुगतान चैनलों के अवैध प्रसारण के मद्देनजर, उनके गठित वकील- नानावती एंड कंपनी, अधिवक्ताओं के माध्यम से, हमारी एंटी-पाइरेसी एजेंसी की स्थान पर पहुँचने और स्थानीय नेटवर्क पर स्टार चैनल के अवैध प्रसारण पर खोज और जब्ती करने के लिए प्रतिनियुक्ति की।

मैंने स्थानीय केबल ऑपरेटर के क्षेत्र में 09.06.2019 को रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग को मोड और चोरी के स्रोत की जांच के लिए स्टार इंडिया को भेजा गया था, जिसमें फुटेज की जांच से पता चला कि नेटवर्क लोगो, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार भारत पर नेटवर्क के स्थानीय चैनल के साथ दिखाई देता है। एफटीए बॉक्स के माध्यम से जाँच के बाद फ़ीड एन्क्रिप्टेड मिला। ऑपरेटर टाटा स्काई लिमिटेड, मुंबई से फीड ले रहा है।

डॉक्यूमेंट्री सामग्री से स्पष्ट पता चलता है कि मैसर्स JK KTV Set के मालिक / संचालक / तकनीशियन बेईमानी से कंपनी की सहमति के बिना कंपनी के संकेतों (न्यायिक रूप से घोषित संपत्ति) के रूप में ले रहे हैं और उसके बाद कंपनी के किसी भी अनुमति के बिना अपने केबल नेटवर्क पर स्टार पे चैनल देखने के लिए अवैध रूप से पुनः प्रसारण और उपलब्ध करा रहे हैं और कानून और कंपनी के प्रसारण के प्रजनन का अधिकार (कॉपीराइट) का उल्लंघन कर रहा है । इस तरीके से, मैसर्स JK KTV Set के मालिक और ऑपरेटर दंड संहिता की धारा 379, 403 और 420 के तहत और अनुभाग 37, 51 और 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत दंडनीय अपराध कर रहे हैं तथा सजा के पात्र हैं ।

इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप केबल ऑपरेटर मैसर्स JK KTV Set के मालिक / संचालक / तकनीशियन को अवैध रूप से स्टार पे चैनल सिग्नल प्राप्त करने के लिए और उसके बाद बिना लाइसेंस के उन्हें रिट्रांसमिट करने के खिलाफ शिकायत दर्ज करें और इस तरह धारा 379, 403 और 420 के तहत चोरी की सजा का अपराध करना और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रजनन अधिकारों के प्रसारण का उल्लंघन करने के लिए धारा 37, 51 और 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत के अंतर्गत कार्यवाही करें ।

निष्ठा से,